FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान **सरकार** बनाम **अज्ञात**
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा0पत्र नम्बर 15/50/2023 दायर दिनांक 02.03.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 45 जी.ए. 0147 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी रामगढ़, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2023 को रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्ररकण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 18.09.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर 18/ वकील वादी/वकुलाय ~~उप0~~/बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 6.11. को पेश हो। रीडर	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31/01/24 पत्रावली वकील प्रार्थी व प्रार्थना-पत्र पर तलब [illegible] पेश हुए। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के पश्चात् नाम व मुद्रांकन पेश किया, जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया। वाहन को मुक्त करने हेतु [illegible] को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा [illegible] बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। [signature] जिला कलक्टर अलवर (राज०)	